क्रमांक एवं आदेश की तिथि	अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, साहेबगंज राजस्व विविध वाद - 22/2018-19 जाकिर शेख - वगैरह अपीलार्थी -बनाम- फ्रांसिस मूर्मू - उत्तरवादी	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३

15/03/23

अभिलेख उपस्थापित।

प्रस्तुत वाद, में अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के R.E Case NO – 06/2014–15 मे पारित आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त न्यायालय में अपील दायर किया गया। विभिन तिथियों में सुनवाई के उपरांत संबंधित वाद अपर उपायुक्त के न्यायलय में दिनांक – 20.08.2018 को अंतरित किया गया।

विवादित भूमि की विवरणी मौजा – मालकसवा।

खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	किस्म जमीन
97	516	1–13–18	धानी
	518	00–04–05	धानी
	551	00–06–01	धानी
	552	00–15–18	धानी
	556	00–12–14	धानी
	557	00–12–02	बाड़ी दोयम
	593	00–03–00	बाड़ी दोयम
	595	02–02–19	बाड़ी दोयम
	601	01–04–16	आम बगान
	602	00–06–13	बाड़ी दोयम
	603	00–13–18	धानी दोयम
	604	01–04–04	बाड़ी दोयम
	605	01–13–05	बाड़ी दोयम
	631	03–07–05	धानी दोयम
	कुल रकवा	15–03–14	

विवादित भूमि की विवरणी मौजा – तुरतीपुर।

खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	किस्म जमीन
239	351	01–11–09	–
	352	00–09–01	–
	353	00–16–07	–
	361	00–07–05	–
	364	03–10–00	–
	395	00–05–09	–
	379	01–00–12	–
	कुल रकवा	08–05–03	–

विवादित भूमि की विवरणी मौजा – दिलावरपुर।

खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	किस्म जमीन
169	04	03–12–12	–

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत् कर वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय में समर्पित कागजात का अवलोकन किया जो इस प्रकार है।

1) निबंधित केवाला सं0 –478, दिनांक – 06.02.2009, 480/दिनांक – 06.02.2009, 481/दिनांक – 06.02.2009 एवं 482/ दिनांक – 06.02.2009 जिसमें विक्रेता मासी टुडु , किटटो टुडू , रूपचांद टुडू ,पिता – मृत वाबुलाल टुडू एवं क्रेता मंगल मरान्डी ,पिता वगिया मरांन्डी का नाम अंकित है।

2) नोटरी पब्लिक शपथ पत्र सं0 – 1014/12/06/12 की छायाप्रति जिसमें दानदाता मंगला मरान्डी एवं दान ग्रहिता सादीक शेख एवं अन्य का नाम उल्लेख है।

3) बंगला लिपि में अंकित अपठनीय दस्तावेज की छायाप्रति जिसमें दलील दाता सिमसाम टुडू वो सिमसाम कृष्ण दास टुडू , पिता – करण टुडू दलील गृहिता चौधरी, पियादा ,पिता हाजी चांद शेख का उल्लेख है।

उत्तरवादी की ओर से संलग्न कागजात की विवरणी इस प्रकार है।

1) मौजा – मालकसवा , जमाबंदी नं0 – 97 के खतियान सच्ची प्रति जो कृष्ण टुडू एवं सिनसाम टुडू के नाम से दर्ज है।

2) मौजा – तुरतीपुर , जमाबंदी नं0 – 23 के खतियान छाया प्रति जिसमें खतियानी रैयत कृष्ण टुडू एवं सिमसाम टुडू का नाम दर्ज है।

3) अंचल अधिकारी हिरणपुर द्वारा निर्गत वंशावली की छायाप्रति।

4) नामांतरण वाद सं0 – 36/1950–51 में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

5) मौजा – मालकसवा , जमाबंदी नं0 – 15 खतियान की छायाप्रति जिसमें खतियानी रैरूत कृष्ण टुडू एवं सिनसाम टुडू का नाम दर्ज है।

विवादित भूमि मौजा मालकसवा , थाना सं0 – 86 ,खाता सं0 – 97 विभिन्न दाग अंतर्गत कुल रकवा 15 बीघा 03 कट्ठा 14 धूर खतियानी रैयत कृष्ण टुडू एवं सिमसाम टुडू पिता – करणा टुडू के नाम से दर्ज है।

इसी प्रकार मौजा – तुरतीपुर , थाना सं0 – 69 खाता सं0 239 विभिन्न दाग नं0 में सन्निहित रकवा 08 बीघा 05 कट्ठा 03 धूर जमीन खतियानी रैयत कृष्णा टुडू एवं सिमसाम टुडू के नाम से दर्ज है।

पुनः मौजा – दिलावरपुर ,थानां सं0 – 90,92, खाता सं0 – 169 ,प्लॉट सं0 – 04 ,रकवा – 03 बीघा 12 कट्ठा 12 धूर जमीन खतियानी रैयत कृष्णा टुडु एवं सिमसाम टुडु के नाम दर्ज है।

अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त न्यायालय में समर्पित् Note of Argument का अवलोकन किया जिसके अनुसार खतियानी रैयत

Scanned with OKEN Scanner

सिमसाम टुडू एवं कृष्णा टुडू के द्वारा दिनांक – 01–09–1932 को खुशकेवाला के माध्यम से मौजा – तुरतीपुर एवं पलवारा के कुल जमीन 19 बीघा 17 कट्ठा 04 धुर अपीलार्थी गण को दे दिया गया है और तब से मकान बनाकर उसपर निवास करते आ रहे है।

– पुनः अपीलार्थी द्वारा मंगला मरांडी जो रिकॉर्ड टैनेंट के वंश वृक्ष से संबंधित है उनसे मौजा दिलावरपुर जमाबंदी नं0 – 169 प्लॉट सं0 – 4, रकवा 3 बीघा 12 कट्ठा 12 धूर भूमि नदावी नामा के द्वारा प्राप्त किया है।

उत्तरवादी बाहरी व्यक्ति है तथा खतियानी रैयत के वंश वृक्ष से संबंधित नहीं है।

– अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर 12 वर्षो से अधिक समय का दखल है अतएव Adverse Posseniton के तहत् Right title interest अपीलार्थी गण का प्राप्त हो जाता है।

उत्तरवादी की ओर से समर्पित एवं संलग्न कागजात के अनुसार खतियानी रैयत कृष्णा टुडू की नावल्द मृत्यु हो चुकी है तथा उनके सहोदर भाई एवं खतियानी रैयत सिमसाम टुडू द्वारा अपने जीवनकाल में अपने बहन के पुत्र वर्णवास सोरेन को दतक पुत्र बनाया है उनके अनुसार खतियानी रैयत की वंशावली इस प्रकार है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तरवादी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता का बयान एवं समर्पित कागजात के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 (1) एवं 20 (5) के तहत् आदिवासी की भूमि कोई गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है तथा वर्त्तमान भू–भाग पर उत्तरवादी का दावा जायज है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बयान एवं लिखित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा मालकसवा , तुरतीपुर, एवं दिलावरपुर में वाद की वर्णित जमीन खतियानी रैयत कृष्णा टुडु वो सिमसाम टुडु के नाम अंकित है जिसे SPT ACT की धारा 20 (1) एवं 20 (5) के तहत् किसी गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

– अपीलार्थी द्वारा समर्पित Notary Public के माध्यम से दान गृहिता का प्रमाण तथा दिनांक – 01.09.1932 को खुश केवाला के माध्यम से खतियानी रैयत से प्राप्त भूमि संबंधित दस्तावेज के आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधित दावा SPT ACT की धारा सुसंगत धाराओं के विपरित है।

– अपीलार्थी के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित Note of Arguement में भी उक्त भूमि पर 12 वर्ष से उपर Adveise Permission का उल्लेख किया है जो Notary Public तथा खुश केवाला के माध्यम से उल्लेखित दावा को स्वतः संपुष्ट नहीं करता है।

सम्यक विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि संथाल परगना काश्कारी अधिनियत 1949 के तहत किसी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है

अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा R.E Case NO – 06/2014–15 मे पारित आदेश को यथास्थिति बरकरार रखते हुए **वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।**

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

लेखापित एवं शुद्विकृत।

15/03/23

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

15/03/23

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.09.22 17:31:52 +05:30
Location: 192.168.0.126

Scanned with OKEN Scanner